न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा, जिला-रीवा (म0प्र0)

20 Rs. COURT FEE २० रु. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

1- गंगा प्रसाद पाठक तनय स्व0 रामखेलामन पाठक उम्र 55 वर्ष, पेशा-खेती, निवासी ग्राम-खड्ढा, तहसील-गुढ़, जिला-रीवा म0प्र0

2- इन्द्रावती पत्नी गंगा प्रसाद पाठक उम्र 50 वर्ष, पेशा-घरुकार्य, निवासी ग्राम-खड्ढा, तहसील-गुढ़, जिला-रीवा म0प्र0

---निगरानीकर्तागण

बनाम्

शासन म0प्र0

---गैरनिगरानीकर्ता

क्रमांक 75 न ऐडवोकेट पोरट द्वारा आज दिनांक .... को प्राप्त

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0प्र0 के प्रकरण कमांक-266/निगरानी/10-11 में पारित आदेश दिनांक 06-09-13 के विरुद्ध निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म वृतान्त

आवेदक की साकिम लोही, तहसील गुढ़, जिला रीवा की कृषि भूमियां जो उसकी पत्नी इन्द्रावती उर्फ गीता पाठक के नाम दर्ज है। उनमें बोई हुई फसल में दिनांक 15-03-10 को आग लगा दिये जाने के कारण अरहर की फसल व आम के 4 वृक्ष जलकर नष्ट हो गये जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख 50 हजार रुपये थी जिन क्षतियों के वास्ते निगरानीकर्ता द्वारा कई आवेदन प्रस्तुत करते हुये राजस्व पुस्तक परिपत्र के बने उपबंधों के आलोक में क्षति व राहत राशि प्रदान

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 894–तीन/2014 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–12–2016	आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त प्रकरण कमांक 266/निगरानी/10–11 में पारित आदेश दिनांक 06–9–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है इस प्रकरण आर0बी0सी0 6(4) में बने प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई जिसका सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः इस निगरानी की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	